

सं0-18(1)2020/E-I/297-300

भारत सरकार
केंद्रीय जल आयोग
स्थापना-एक अनुभाग

तृतीय तल (द0), सेवा भवन
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066
दिनांक: 15/10/2020

सेवा में,

वेतन एवं लेखा अधिकारी,
केंद्रीय जल आयोग,
सेवा भवन, आर0 के0 पुरम,
नई दिल्ली।

विषय :- बाल शिक्षा भत्ते (CEA) स्वीकृति हेतु।

महोदय,

भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या: ए-27012/02/2017-स्था0(भत्ता), दिनांक 16.08.2017 के अनुसार निम्नलिखित अधिकारियों को नीचे दिये गए विवरण के अनुसार शिक्षा सत्र 2019-20 में अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक संतान शिक्षण भत्ता के भुगतान के लिए मंजूरी प्रदान की जाती है।

क्र सं	बच्चे का नाम व जन्म तिथि	कक्षा व स्कूल का नाम	संतान शिक्षण भत्ता दावे की अवधि	संतान शिक्षण भत्ता की प्रतिपूर्ति	कुल देय राशि
a)	श्री सतीश कुमार कंबोज, निदेशक				
1	स्पर्शित कंबोज 04.09.2009	कक्षा V, Shri Ram World School, New Delhi	04/2019 से 03/2020 तक	रु.2250/- प्रति माह	रु.27,000/-
b)	श्री दिलीप कुमार झा, निदेशक				
1	Mrinank Katyayan 03.10.2003	कक्षा XI Laxman Public School, Hauz Khas, New Delhi	04/2019 से 03/2020 तक	रु.2250/- प्रति माह	रु.27,000/-
2	Miss Pankhuri Kusum 14.04.2005	कक्षा IX Cambridge School, Srinivaspuri, New Delhi	04/2019 से 03/2020 तक	रु.2250/- प्रति माह	रु.27,000/-
c)	श्री बलराम कुमार, निदेशक				
1	गौरव कुमार 28.01.2009	कक्षा V, D.A.V Public School, R.K. Puram, Sec 9, N.D	04/2019 से 03/2020 तक	रु.2250/- प्रति माह	रु.27,000/-
	प्राची कुमारी 14.08.2010	कक्षा IV, Holy Child Auxilium School, R.K. Puram, Sec 12, N.D	04/2019 से 03/2020 तक	रु.2250/- प्रति माह	रु.27,000/-

1. प्रमाणित किया जाता है कि उक्तवर्णित शिक्षणवर्ष के दावे का भुगतान इसके पूर्व नहीं किया गया है।
2. उपयुक्त वर्णित विधालय संबन्धित शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त है।
3. किये गये दावे का सत्यापन प्रमाणपत्रों से कर ली गई है।
4. उपरोक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंतर्गत, लेखा शीर्ष: 2701, 80-006-11-Consultancy(NP) 01-00-01- वेतन में समायोजित होगी।

भवदीय,

अरवि चौहान / 22/10/2020
(संजय सिंह चौहान)

अवर सचिव, स्थापना-एक
अगले पग पर

प्रतिलिपि:-

1. अनुभाग अधिकारी, लेखा-3, अनुभाग, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली को आवश्यक रशीदे/ प्रमाणपत्रों के साथ - (दो प्रतियाँ)
2. संबंधित अधिकारी ।
3. कार्यालय आदेश फॉल्डर ।